

# Government Women's Polytechnic College

Shivaji Nagar, Bhopal – 462016 (M.P.)

NBA

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684

Email: prinwpoly.bpl@mp.gov.in Website: www.gwpbpl.ac.in

Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal

Accredited Programmes

Architecture & Interior Design(2019-22)  
Computer Science & Engineering(2019-22)

Excellence in Technical Education for Women Empowerment

कमांक / शामपोमभो / स्था. / गेस्ट फ़ैकेल्टी / 2021 / 1126 भोपाल, दिनांक 23/8/2021

## गेस्ट फ़ैकेल्टी हेतु विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये महाविद्यालय में संचालित निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में रिक्त शिक्षकीय पदों के विरुद्ध गेस्ट फ़ैकेल्टी से अध्यापन कार्य कराने हेतु, समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों से जो निर्धारित अर्हता रखते हों, आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

स. क्र.	संकाय का नाम	शैक्षणिक अर्हता
1	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से संबंधित इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक उपाधि  यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री है, तो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।

समस्त पात्र एवं इच्छुक आवेदक संस्था की वेब साईट [www.gwpbpl.ac.in](http://www.gwpbpl.ac.in) पर दिनांक 07-09-2021 तक आवेदन करें। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयनित उम्मीदवार को दूरभाष पर सूचित किया जायेगा, एवं संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ही, कार्य आदेश जारी किये जायेंगे। अनुभव और उच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जावेगी।

आरक्षण :- शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

नोट :- 1- चयन प्रक्रिया आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उच्च अर्हता एवं अनुभव पर आधारित होगी। वर्तमान परिस्थितियों में साक्षात्कार नहीं होगा। 2- चयनित गेस्ट फ़ैकेल्टी को 400/- प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय का भुगतान वास्तविक लिये गये व्याख्यानों के लिये दिया जायेगा। 3- उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। 4- रिक्त पद पर नियमित पदस्थापना होने की दशा में गेस्ट फ़ैकेल्टी की नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी। 5- गेस्ट फ़ैकेल्टी के चयन में प्राचार्य का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 6- शैक्षणिक कार्य संतोषजनक होने पर ही अगले उपसत्र (सेमेस्टर) में अध्यापन कार्य दिया जावेगा। 7- अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में महाविद्यालय से प्राप्त की सकती है।

प्राचार्य

शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय,  
भोपाल